संख्या–538 / 79–6–2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3– वित्त नियंत्रक,
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, इलाहाबाद ।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ दिनांक 20 जून, 2013

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस–पास (neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश के उपरान्त शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रकिया का निर्धारण किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–शि0नि0वे0 / 2611 / 13–14 दिनांक 13–5–2013 एवं पत्र संख्याः शि0नि0(वे0) / 5299 दिनांक 18.06.2013 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस–पास(neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–3087 / (1) / 79–5–2012–29 / 09 टी0सी0–II दिनांक 03–12–2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 3–12–2012 के अनुसार अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के कक्षा–1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा की फुल सीट क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक शैक्षिक सत्र 2013–14 में निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रवेश दिया जायेगा, जो सम्बन्धित छात्र को उस विद्यालय हेतु कक्षा–8 तक मान्य रहेगा और इस प्रयोजन हेतु संबंधित शिक्षण संस्थाओं को उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है , जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

(क)– शासनादेश दिनांक 3–12–2012 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का प्रवेश सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों / जिला

विद्यालय निरीक्षकों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार विद्यालयों में प्रवेश कराया जाना बाध्यकारी होगा ।

(ख)– निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम–8(2) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रति बालक/बालिका रू0 450–00 प्रतिमाह शुल्क प्रतिपूर्ति निर्धारित की गई है । प्रतिपूर्ति हेतु प्रति बालक विद्यालय का वास्तविक शुल्क या रू0 450–00 से जो भी कम होगा, देय होगा ।

(ग)– विद्यालय हेतु आस–पास(neighbourhood) की परिभाषा के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो, के वार्ड) को इकाई समझा जायेगा अर्थात जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा । यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को होगा । शासनादेश दिनांक 3–12–2012 में यथा परिभाषित/अधिसूचित अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही उक्त प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा ।

(घ)– बच्चे के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की पुष्टि अवश्य की जायेगी, जिसके प्रमाण स्वरूप निर्गत आय प्रमाण पत्र सहित , प्रमाण पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी का पद नाम व नाम विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रपत्र–2/4 के अन्तर्गत प्रविष्टियों की पुष्टि करायेंगें एवं सत्यापन के लिए उत्तरदायी होंगें ।

(ड.)– उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के (मूल अधिनियम की धारा 12) नियम 8 के उपनियम (3) से (6) में निम्नांकित व्यवस्था की गई है:–

(3) धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (वार) में सन्दर्भित प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में पृथक बैंक खाता अनुरक्षित रखेगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करने वाला प्रत्येक विद्यालय अनन्य पहचान संख्या सहित बालकों की सूची और शिक्षा निदेशक(बेसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर समस्त आवश्यक विवरण के साथ–साथ साक्ष्य सहित विद्यालय द्वारा उपगत मदवार व्यय का विवरण प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगा :

परन्तु जहां ऐसे विद्यालय, निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि/भवन/उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही वचनबद्ध हों, वहां ऐसे विद्यालय ऐसी वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगें ।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक) आवश्यक सत्यापन के पश्चात देय प्रतिपूर्ति धनराशि को उपनियम (3) में सन्दर्भित खाते में अंतरित करेगा तथा उक्त सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करेगा ।

(6) यदि किसी भी स्तर पर विद्यालय द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करके उसे प्राप्त किया गया पाया जाता है तो उसे विद्यालय की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही और भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही सहित इस प्रकार प्राप्त की गयी धनराशि की दुगुनी धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी और यह धनराशि जिलाधिकारी द्वारा भूमि राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में वसूली जायेगी ।

3– माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा–1 से 5 एवं 6 से 8 तक संचालित कक्षाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों तथा सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु मांग प्रपत्र–2 पर प्राप्त की जायेगी और विवरण संकलित करने के उपरान्त सत्यापित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें । बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त विवरण संकलित किया जायेगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त विवरण को संकलित करते हुए जनपद का मांग पत्र वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया जायेगा ।

4– शासनादेश दिनांक 3–12–2012 के साथ संलग्न आवेदन पत्र प्रपत्र–1 (परिशिष्ट–1) पर प्रवेश के लिए आवेदन किया जायेगा, जिसका संकलित विवरण संस्था द्वारा संलग्न प्रपत्र–2 (परिशिष्ट–2) पर अंकित प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा ।

5– विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही करने के उपरान्त प्रथम छमाही हेतु 30 जुलाई तक प्रपत्र–3 में विवरण अंकित करते हुए प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की मांग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा ।

6– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 30 सितम्बर तक संलग्न प्रपत्र–4 पर अपने जनपद की संकलित मांग वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगें । वित्त नियंत्रक के स्तर से परीक्षणोपरान्त 15 अक्टूबर तक जनपदों को, मांगी गई धनराशि उपलब्ध करायेंगें । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर समस्त विद्यालयों को, खोले गये खाते में (प्रपत्र–3 के अनुसार) धनराशि अन्तरित करा दी जायेगी।

7– विद्यालयों द्वारा द्वितीय छमाही के लिए मांग पत्र उसी प्रक्रिया के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 15 दिसम्बर तक प्राप्त करा दिया जायेगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद से वांछित धनराशि प्राप्त कर 15 फरवरी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के खाते में द्वितीय किस्त अन्तरित की जायेगी ।

8– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं शासनादेश संख्या–3087/(1)/79–5–2012–29/09 टी0सी0–11 दिनांक 03–12–2012 राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ की वेबसाइट–www.upefa.com पर उपलब्ध है ।

9— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस–पास (neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश के उपरान्त शुल्क प्रतिपूर्ति लेखा शीर्षक "2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–31–निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा–3105–अराजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा–1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय के निमित्त सहायता–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) " के अन्तर्गत की जायेगी।

उपर्युक्त प्रकिया के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय । प्रकिया के अनुसार शिक्षा निदेशक(बेसिक) तथा शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) द्वारा मासिक अनुश्रवण किया जायगा। शासन को कृत कार्यवाही की मासिक सूचना भी प्रेषित की जायगी।
संलग्नकः उक्तवत् ।

भवदीय,

20.6.13
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–538(1)/79–6–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ ।
2— शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4— अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
5— सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
6— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश ।
7— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
5— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।